

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री श्याम कुमार, बा0 धरियावद, प्रतापगढ	21-12-1958	31-12-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक-20/12/2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेतु
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
6. संबंधित प्राध्यापक
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर